एम. सरवाना पोर्सेल्वी

बनाम

ए.आर. चंद्रशेखर उर्फ पार्थिबन और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 967/2008)

27 मई, 2008

[एस.बी. सिन्हा और लोकेश्वर सिंह पंता]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 482 और 468 - प्रथागत तलाक - समझौता के लिए पंजीकृत- पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता - उसके दस साल बाद, पत्नी ने महिला सेल के समक्ष पति और सास-ससुर के खिलाफ इस आधार पर शिकायत याचिका दायर की कि पति ने दूसरी बार शादी की है। एफ़ आई आर दर्ज की गई। पति और सास ससुर ने प्राथमिकी रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया - उच्च न्यायालय ने अधिकारिता के प्रयोग में अंतर्गत धारा 482 सीआर.पी.सी. मैं मुझे आवेदन करने की अनुमति दी आवेदन के औचित्य को उचित ठहराया - चूंकि दोनों पक्ष दस साल से अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं, आईपीसी की धारा 498ए के तहत मामला इतने दूर के समय से मामला नहीं बनता है, विशेष रूप से धारा 468 सीआरपीसी में निहित सीमा की अवधि को ध्यान में रखते हुए- अन्यथा भी तथ्यों पर यह अविश्वसनीय है कि पत्नी को उसके पति या ससुराल वालों द्वारा वास्तव में उसे परेशान किया गया था - हालाँकि अंतर्गत धारा 494 के तहत अपराध के संबंध में कोई सीमा अवधि मौजूद नहीं है, लेकिन कोई आरोप नहीं लगाया गया था। जहां तक उक्त अपराध के घटित होने में सास-ससुर का संबंध है। चिंतित हैं - यदि यह प्रथागत तलाक का मामला है, तो अच्छे रिवाज के अस्तित्व के संबंध में प्रश्न को नागरिक कार्यवाही में शामिल किया जा सकता है -

लेकिन आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा - यह दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू किया गया था - यदि जारी रखने की अनुमति दी गई है, तो न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा - दंड संहिता, 1860 - उपधारा 498ए और 494 - हिन्दू विवाह अधिनियम 1955- धारा 13(1)(ए) - न्यायालय का दुरुपयोग दोनों पक्षों ने 1996 में तलाक के लिए एक समझौता किया जिसे संयुक्त उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत किया गया था। उक्त तलाक कथित तौर पर उस समुदाय में प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था! पार्टियां संबंधित हैं. अपीलकर्ता - पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 25,000 रुपये की राशि भी प्राप्त हुई, जिसकी पुष्टि एक स्टाम्प रसीद देकर की गई। प्रतिवादी नंबर 1 ने 1998 में दोबारा शादी की।

2006 में, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3, उसके पति और सास-ससुर के खिलाफ महिला सेल के समक्ष एक शिकायत याचिका दायर की इसके अलावा इस आधार पर कि प्रतिवादी संख्या 1 ने दूसरी बार शादी कर ली, इस तथ्य की जानकारी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ए) के तहत प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर याचिका के संबंध में सम्मन प्राप्त होने पर हुई। उक्त शिकायत के अनुसार सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी। इसके बाद उत्तरदाताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त एफआईआर को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था। आक्षेपित निर्णय के कारण, आवेदन की अनुमति दी गई है।

अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस प्रकृति के मामले में, जहां शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच चल रही है, उच्च न्यायालय को उत्तरदाता द्वारा उठाए गए कथित बचाव में प्रवेश करने पर आक्षेपित निर्णय पारित नहीं करना चाहिए था। विशेष रूप से तब जब राज्य ने स्वयं उच्च न्यायालय के समक्ष

दायर अपने जवाबी हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा कि जांच के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था।

हालाँकि प्रतिवादी नंबर 1, 2 और 3 ने कहा कि अपीलकर्ता की ओर से दुर्भावना इस तथ्य के मद्देनजर स्पष्ट थी कि शिकायत याचिका तलाक के 10 साल बाद दायर की गई थी और ऐसी शिकायत याचिका पर विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो।

इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय, इस प्रकृति के मामले में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए माना:

1. प्रथागत तलाक कानूनी या अवैध हो सकता है - हालाँकि, यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि इस तरह का समझौता किया गया था या अपीलकर्ता को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 25,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। एक पंजीकृत दस्तावेज है कानूनी पेशे में होने के कारण अपीलकर्ता को इसके कानूनी निहितार्थ के बारे में पता होना चाहिए। यदि उक्त समझौते के तथ्यो को सही माना जाए, तो निर्विवाद रूप से दोनों पक्ष दस वर्षों से अधिक समय से अलग-अलग रह रहे थे। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि आईपीसी की धारा 498ए के तहत मामला बनाया गया है और वह भी इतने दूर के समय पर यह सवाल है, खासकर सीआरपीसी की धारा 468 में निहित सीमा की अवधि को देखते हुए। हालांकि यह अविश्वसनीय है कि अपीलकर्ता को वास्तव में उसके पति या उसके ससुराल वालों द्वारा परेशान किया गया था। [पैरा 10] [941-जी,एच, 942-ए,बी]

2. हालांकि धारा 494 के तहत अपराध के संबंध में कोई सीमा अवधि मौजूद नहीं है, क्योंकि सजा की अधिकतम अवधि सात साल है, लेकिन वर्तमान मामले में

कोई आरोप नहीं लगाया गया है। जहां तक प्रतिवादी संख्या 2 और 3 का संबंध है, उक्त अपराध के घटित होने के संबंध मे यदि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए भी उच्च न्यायालय ने एक स्वीकृत दस्तावेज पर विचार किया है, तो उसमें कोई कानूनी भूल नहीं है। यदि यह प्रथागत तलाक का मामला है तो अच्छी परंपरा के अस्तित्व के संबंध में प्रश्न को नागरिक कार्यवाही में शामिल करना पड़ सकता है। लेकिन आपराधिक मुकदमा झूठा नहीं चलेगा। इसकी शुरुआत दुर्भावना से की गई थी। इस प्रकार, यदि इसे जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। [पैरा 12] [942-सी-एफ]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 967/2008।

मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 2006 का सीआरएल ओपी नंबर 5392 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 27.10.2006 से।

गुरुकृष्ण कुमार, श्रीकला गुरुकृष्ण कुमार और टी. सेंथिल कुमार अपीलकर्ता की ओर से।

वी. करोगाराज, आर. श्नमुगसुंदरम, एस. थानंजयन, वी.जी. प्रगासम, एस.जे. एरिस्टॉटल और प्रभुराम सुब्रमण्यम प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश एस.बी. सिन्हा द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी ।

2. अपीलकर्ता एक वकील है। उसका विवाह प्रतिवादी संख्या 1 से 1. 12.1993 को या उसके आसपास हुआ था। पक्षकार निर्विवाद रूप से 1996 से अलग - अलग रह रही हैं। उन्होंने कथित तौर पर ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। विरुधुनगर स्टेशन को जांच कराने का निर्देश दिया गया- नलिकायुक्त! उक्त पुलिस अधिकारियों की सलाह के अनुसार स्टेशन और दोनों पक्षों के रिश्तेदारों ने 24.7.1996 को या उसके आसपास तलाक के लिए एक समझौता किया। इसे 1996 की

पंजीकरण संख्या 146 के तहत संयुक्त उप-रजिस्ट्रार, विरुधुनगर के कार्यालय में पंजीकृत किया गया था। अपीलकर्ता को स्थायी गुजारा भत्ता के लिए 25,000 रुपये की राशि भी प्राप्त हुई थी, जिसकी पुष्टि एक मुद्रांकित रसीद देकर की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि कथित तलाक उस समुदाय में प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ है, जिसमें पक्षकार शामिल हैं!

3. माना जाता है कि पहले प्रतिवादी ने 1998 में दोबारा शादी की। उक्त विवाह से उसके दो बच्चे हैं।

4. हालांकि, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 के खिलाफ यानी उसके पति और सास-ससुर के खिलाफ अन्य बातों के अलावा चेन्नई में महिला सेल के समक्ष मई 2006 में एक शिकायत याचिका दायर की। पहली प्रतिवादी ने दूसरी बार शादी की है, यह तथ्य उसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 जी की धारा 13(1)(ए) के तहत पहली प्रतिवादी द्वारा दायर याचिका के संबंध में एक सम्मन प्राप्त होने पर पता चला।

5. उक्त शिकायत के अनुसार एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी जिसे 2006 के अपराध संख्या 5 के रूप में दर्ज किया गया था। उत्तरदाताओं को गिरफ्तार किया गया था। उक्त एफआईआर को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था! आक्षेपित निर्णय के आधार पर उक्त आवेदन स्वीकार कर लिया गया है।

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुकृष्ण कुमार का कथन था कि इस प्रकृति के मामले में जहां शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच चल रही है, उच्च न्यायालय को आक्षेपित निर्णय पारित नहीं करना चाहिए था। उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए कथित बचाव में प्रवेश करने पर, खासकर जब राज्य ने स्वयं उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपने जवाबी हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा कि जांच के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था।

7. हालांकि, राज्य की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. शुनमुगसुंदरम ने कहा कि उच्च न्यायालय को यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कोई त्रुटि की है क्योंकि दिनांक 24.7.1996 का तलाक विलेख एक पंजीकृत दस्तावेज था और इस प्रकार एक सार्वजनिक दस्तावेज है। इसलिए यदि उक्त दस्तावेज के निष्पादन से इनकार नहीं किया गया है, तो आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

8. प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री वी. कनकराज का कथन है कि अपीलकर्ता की ओर से दुर्भावना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट है कि ऐसी शिकायत याचिका 10 साल की अवधि के बाद दायर की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि तलाक 10 साल पहले हुआ था इसलिए यह आग्रह करना व्यर्थ है कि इतने लंबे समय के बाद दायर की गई शिकायत याचिका को अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं माना जाना चाहिए।

9. यहां मुख्य प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय इस प्रकृति के मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है।

10. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि विवादित नहीं है। प्रथागत तलाक वैध या अवैध हो सकता है। हालाँकि यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि इस तरह का समझौता किया गया था या अपीलकर्ता को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 25,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई थी! यह एक पंजीकृत दस्तावेज है, कानूनी पेशे में होने के कारण अपीलकर्ता को इसके कानूनी निहितार्थ के बारे में पता होना चाहिए, यदि उक्त समझौते के तथ्यो को सही माना जाता है, तो निर्विवाद रूप से दोनों पक्ष दस वर्षों से अधिक समय से अलग-अलग रह रहे थे। फिर केस को कैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत बनाया गया माना जा सकता है और वह भी इतने दूर के समय के बिंदु पर, खासकर यह सवाल है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 में निहित

सीमा की अवधि को ध्यान में रखते हुए हालांकि यह अविश्वसनीय है कि अपीलकर्ता को वास्तव में उसके पति या उसके ससुराल वालों द्वारा परेशान किया गया था।

11. हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि धारा 494 के तहत अपराध के संबंध में कोई परिसीमा अवधि मौजूद नहीं है, क्योंकि इसके लिए दी जाने वाली सजा की अधिकतम अवधि सात वर्ष है।

12. लेकिन जहां तक प्रतिवादी संख्या 2 और 3 का संबंध है, उक्त अपराध के घटित होने के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया है। यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए भी उच्च न्यायालय ने एक स्वीकृत दस्तावेज पर विचार किया है तो हमें उसमें कोई कानूनी कमजोरी नहीं दिखती है। यदि यह प्रथागत तलाक का मामला है तो अच्छी परंपरा के अस्तित्व से संबंधित प्रश्न पर सिविल कार्यवाही में विचार करना पड़ सकता है। लेकिन आपराधिक मुकदमा झूठा नहीं चलेगा। इसकी शुरुआत दुर्भावना से की गई थी। इस प्रकार इसे जारी रखने की अनुमति दी गई तो यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

13. उपरोक्त कारणों से आक्षेपित निर्णय में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

बी.बी.बी अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी भीम सिंह मीना (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।